मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पत्र क्रमांक 1875/257 सीसी/2017/अड़तीस/17, भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017

प्रति,

1. कुलसचिव,
 समस्त पाम्परिक (07)विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश.।
2. प्राचार्य,
 समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18 सम्पन्न करवाने विषयक।

संदर्भः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र. SLP 24294/04 निर्णय दि.03.11.06 तथा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र. 14174/10, निर्णय दि. 13.10.10

-0-

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा, विभागीय प्रस्ताव पर छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2017–18 दिनांक 30 अक्टूबर 2017 के लिए अनुमति प्रदान की है। उक्त अनुमति विश्वविद्यालय समन्वय समिति के आयोजन की प्रत्याशा में अनुसमर्थन के रूप में दी है। छात्रसंघ निर्वाचन मार्गदर्शिका 2017–18 के तहत महाविद्यालयों में कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाएगा एवं कक्षा प्रतिनिधि के द्वारा महाविद्यालयों के छात्रसंघ पदाधिकारियों चुनाव किया जाएगा।

(डॉ. जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक 1876/257 सीसी/2017/अड़तीस/17, भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
5. वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. संभागायुक्त, समस्त मध्यप्रदेश।
7. जिला कलेक्टर समस्त, मध्यप्रदेश।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त मध्यप्रदेश
9. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभागीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
10. वि.क.अ.आई.टी. उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर छात्रसंघ गठन मार्गदर्शिका 2017–18 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

छात्रसंघ निर्वाचन मार्गदर्शिका

सत्र 2017–18

छात्रसंघ निर्वाचन मार्गदर्शिका

अनुक्रमणिका

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1	प्रस्तावना	03
2	छात्रसंघ निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश	04–10
3	प्राचार्य / संरक्षक के लिये निर्देश	11–13
4	प्रत्याशियों के लिए अर्हताएं	14–17
5	छात्रसंघ गठन : कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन	18
6	छात्रसंघ गठन : पदाधिकारियों का निर्वाचन	19
7	विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर छात्रसंघ गठन की समय सारिणी	20
8	मतदान की तैयारी एवं मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु	21–23
9	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन	24–25
संलग्नक :–		26
I	छात्रसंघ निर्वाचन की अधिसूचना	27
II	आचार संहिता	28–30
III	नामाकन प्रपत्र कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी, प्रत्याशी का अभिवचन पत्र, प्रत्याशी का घोषणा पत्र, प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी के नामांकन हेतु शपथ पत्र एवं पावती	31–37
IV	नाम वापसी का प्रपत्र : कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी	38
V	मतगणना के नियम	39
VI	मतपत्र – कक्षा प्रतिनिधि	40
VII	मतगणना प्रपत्र एवं निर्वाचन परिणाम : कक्षा प्रतिनिधि	41
VIII	मतपत्र लेखा : कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी	42
IX	निर्वाचन पश्चात् परिणाम की घोषणा : कक्षा प्रतिनिधि	43
X	निर्वाचन प्रमाण पत्र : कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी	44
XI	मतपत्र छात्रसंघ पदाधिकारी	45
XII	मतगणना प्रपत्र एवं निर्वाचन परिणाम : पदाधिकारी	46
XIII	निर्वाचन पश्चात् परिणाम की घोषणा : पदाधिकारी	47
XIV	निर्वाचकों का शपथ पत्र	48
XV	निर्वाचन प्रक्रिया में उम्मीदवार द्वारा निर्धारित व्यय राशि का लेखा प्रारूप	49
XVI	अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य / क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि की जानकारी का निर्धारित प्रारूप में प्रेषण।	50
XVII	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि की जानकारी का निर्धारित प्रारूप में प्रेषण।	51
XVIII	अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य / क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में निर्वाचित पदाधिकारियों की जानकारी का निर्धारित प्रारूप में प्रेषण।	52
XIX	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में निर्वाचित पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकजाई कर प्रेषण।	53

1. प्रस्तावना

1. 21 वीं शताब्दी में प्रजातांत्रिक मूल्यों का निरंतर विकास एवं विस्तार मानव सभ्यता के लिये आवश्यक है। विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास एवं पोषण के लिये छात्रसंघ गठन एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पद्धति विद्यार्थियों को नेतृत्व से युक्त एवं संकीर्णताओं से मुक्त कर सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करती है।

2. छात्रसंघ गठन विद्यार्थियों एवं महाविद्यालयीन व्यवस्था के मध्य संवाद की नींव रखता है। प्रतिनिधित्व की प्रणाली सामाजिक शिष्टाचार, कानून का सम्मान, व्यवस्था की मर्यादाएं तथा जनतांत्रिक मूल्य से अवगत कराती है। छात्रसंघ गठन एक रूपांतरण की प्रक्रिया है जिसमें अनुत्तरदायित्व से उत्तरदायित्व, विचारशीलता से सृजनशीलता, अलगाव से लगाव तथा संकीर्णता से व्यापकता की ओर ले जाती है। प्रक्रिया की सफलता समस्त महाविद्यालयीन परिवार की सर्तकता एवं संजीदगी पर निर्भर है।

2. छात्रसंघ निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर–अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं परम्परागत विश्वविद्यालयों के कैम्पस में छात्रसंघ गठन के संबंध में लिंगदोह समिति की अनुशंसा अनुरूप एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित मॉडल, चार्ट IV D के अनुसार छात्रसंघ गठन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ महाविद्यालय से आशय शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर–अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं परम्परागत विश्वविद्यालयों के कैम्पस में संचालित समस्त कक्षाओं/विभाग से है।

   छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18 की प्रक्रिया दिनांक 23.10.2017 से संलग्न समय सारिणी अनुसार सम्पन्न होगी।

2. महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रसंघ गठन के लिए कक्षा प्रतिनिधियों के अलावा निम्नलिखित पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन किया जाएगा :– पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह–सचिव)। इन पदों के लिए छात्राओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस वर्ष पदों के आरक्षण के लिए संस्था प्रमुख/प्राचार्य के द्वारा लॉटरी से ड्रा निकालकर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा एवं आगामी वर्षों में रोटेशन पद्धति से अन्य पदों को आरक्षित किया जाएगा।

3. अध्यक्ष पद पर ऐसे महाविद्यालय जहां स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हैं, में स्नातकोत्तर कक्षा से ही अभ्यर्थी/प्रत्याशी नामांकन हेतु पात्र होगा। अन्य तीनों पदाधिकारी पदों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं होगा।

प्रक्रिया :–

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशानुसार छात्रसंघ गठन की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिसमें निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा, अभ्यर्थियों के नामांकन एवं निर्वाचन परिणाम घोषित होने के उपरान्त शपथ ग्रहण तक की प्रक्रिया शामिल होगी, इसके लिए अधिकतम 10 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है।

5. विश्वविद्यालय कैम्पस को छात्रसंघ गठन हेतु महाविद्यालय के समान ही माना जाएगा अर्थात विश्वविद्यालय में महाविद्यालय की छात्रसंघ गठन प्रक्रिया के समान ही कक्षा प्रतिनिधि एवं छात्रसंघ पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा और विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय मे छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया एक समान ही होगी। इस प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग (यू.टी.डी.) के माध्यम से संचालित समस्त विभागों/कक्षाओं को एक महाविद्यालय के रूप में माना जाएगा। परन्तु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू.आर.) का निर्वाचन नहीं किया जाएगा, इस कारण से यू.आर. के माध्यम से विश्वविद्यालय

स्तरीय छात्रसंघ का निर्वाचन इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है।

6. किसी भी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का पद रिक्त नहीं रहेगा अर्थात् यदि किसी कक्षा के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया गया है तो सरंक्षक के द्वारा उस कक्षा के लिए गुणानुक्रम के आधार पर अर्हताधारी सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि मनोनीत किया जाएगा।

7. कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा/वर्ग का होना चाहिए। इसके साथ ही उसका नाम संबंधित कक्षा तथा वर्ग (सेक्शन) की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अंकित होना चाहिए।

8. कक्षा प्रतिनिधि के लिए नामांकन समय सारिणी अनुसार किया जायेगा। छात्रसंघ पदाधिकारियों के लिए नामांकन कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचित होने के पश्चात् उसी दिन समय सारिणी अनुसार किया जाएगा।

9. महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख छात्रसंघ के संरक्षक एवं सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी एवं प्रभारी रहेंगे। महाविद्यालयों मे छात्रसंघ गठन के कार्य के लिए संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक (उच्च शिक्षा) के अनुमोदन से प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को ''छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी'' घोषित किया जाएगा। इसी तरह विश्वविद्यालय में छात्रकल्याण अधिष्ठाता छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी होंगे। छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी छात्रसंघ निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं गतिविधियों को संरक्षक के मार्गदर्शन में सम्पादित करेंगे। संरक्षक द्वारा अधिसूचना प्रकाशन, पदाधिकारियों/कक्षा प्रतिनिधियों के आरक्षण हेतु लॉटरी, परिणाम तथा शपथ ग्रहण के उत्तरदायित्व को संरक्षक निष्पादन करेंगे। (छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया 2017–18सम्पन्न करने के लिये निर्धारित संलग्न प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा)

10. उक्त महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग/कक्षा के विभिन्न वर्गों/सेक्शन से विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर कक्षा प्रतिनिधि/सी.आर. का निर्वाचन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा से निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि तथा गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि (आवश्यकता होने पर) छात्रसंघ के विभिन्न (चार) पदाधिकारियों में से किसी भी एक पद के लिए अपना नामांकन कर सकते है। जिसके उपरान्त निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि एवं गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि ही वोट डालकर छात्रसंघ पदाधिकारियों को चुनेंगे अर्थात कक्षा प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु उस कक्षा के समस्त पात्रता रखने वाले विद्यार्थी मतदान करेंगे एवं महाविद्यालयीन पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचित अथवा मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि ही मतदान करेंगे। इस तरह से प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

11. वे कक्षा प्रतिनिधि जो अंततः प्रक्रियानुसार महाविद्यालयीन पदाधिकारी के रूप में समान्य रूप से निर्वाचित होते है। तो वे दोनों पदों को धारण करेंगे।

12. ऐसे महाविद्यालय जहाँ कक्षा प्रतिनिधियों की कुल संख्या 4 से कम हो तो निम्न क्रम में पदाधिकारी निर्वाचित किये जाएंगे– अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव एवं शेष पद रिक्त रहेंगे।

13. निर्वाचन के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन संस्था स्तर पर किया जाएगा जो किसी भी तरह की शिकायत या अभ्यावेदन आने पर उसका जांच प्रतिवेदन प्राचार्य/संरक्षक, कुलपति/संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे एवं उसी दिन संरक्षक के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

14. मतदान के उपरान्त परिणाम घोषित होते ही उसी दिवस महाविद्यालयों में संस्था प्रमुख/प्राचार्य द्वारा निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। विश्वविद्यालयों मे कुलपति द्वारा निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करायी जायेगी।

15. कक्षा प्रतिनिधि हेतु छात्राओं के लिए आरक्षण :–

कक्षा प्रतिनिधि के लिए कुल पदों के 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आरक्षित कक्षाओं के चयन के लिए लॉटरी पद्धति से ड्रा निकाला जाएगा। परन्तु छात्रओं हेतु सी.आर. का आरक्षण तभी किया जाएगा जब उन कक्षा विशेष में न्यूनतम 3 छात्राएं (अर्हताधारी) अध्यनरत हो। कन्या महाविद्यालयों में यह आरक्षण लागू नही होगा क्योंकि समस्त पद महिलाओं के लिए ही होंगे। 50 प्रतिशत की गणना महाविद्यालय में निर्वाचन में भाग ले रही कुल कक्षाओं में से की जाए। अगर न्यूनतम आवश्यक 03 छात्राओं से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है तो इन कक्षाओं में से लॉटरी पद्धति से ड्रा निकाला जाए। अगर यह संख्या 50 प्रतिशत से कम है तो ऐसी सभी कक्षाओं में छात्राओं के लिए आरक्षण रहेगा। शेष सभी कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के पद को अनारक्षित मानते हुए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन कराये जाए। महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का पद रिक्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरणः– अगर तीन छात्राओं अथवा तीन से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं की संख्या कुल कक्षाओं की संख्या के 50 प्रतिशत से कम है तो ऐसी स्थिति में 50 प्रतिशत महिला सीट आरक्षण की बाद्यता नहीं रहेगी एवं ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप से 3 से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं को ही छात्राओं के लिए कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) के लिए आरक्षित माना जाएगा।

उदाहरण के लिए किसी महाविद्यालय में समस्त संकाय/पाठ्यक्रम की कुल 36 कक्षाएं संचालित है। सर्वप्रथम 03 या 03 से अधिक छात्राओं की संख्या वाली कक्षाओं को

चिन्हित किया जाए, और यह संख्या 18 (अर्थात 50 प्रतिशत) या 18 से कम है तो इन्ही 18 या 18 से कम कक्षाओं में से ही छात्राओं/महिलाओं के लिए कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) का पद आरक्षित रहेगा। यदि 03 या 03 से अधिक छात्राओं की कक्षाओं की संख्या 18 से अधिक होती है तो ऐसी सभी कक्षाओं को पर्ची/लॉटरी बनाकर उसमे से 50 प्रतिशत अर्थात इस उदाहरण में 18 कक्षाएं छात्राओं हेतु कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) आरक्षण के लिए चिन्हित की जावे।

छात्रसंघ निर्वाचन की समय सारिणी अनुसार आरक्षण प्रक्रिया के समय छात्र–छात्रा उपस्थित रहें। इस हेतु संस्था के संरक्षक द्वारा सूचना पटल पर एवं कक्षाओं में इस बाबत् सूचना प्रसारित कराना सुनिश्चित की जाए।

प्रत्याशियों के लिए अर्हता :–

17. स्नातक स्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2012–13 या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो। 12वीं कक्षा के बाद अन्तराल (गैप) ले सकता है। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद अन्तराल (गैप) नहीं ले सकता है।

18. विद्यार्थी ने किसी भी पाठ्यक्रम को निर्धारित न्यूनतम अवधि में ही उत्तीर्ण किया हो।

19. किसी भी उपाधि/परीक्षा को पूरक/एटीकेटी के द्वारा उत्तीर्ण नहीं किया हो।

20. विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त न रहा हो।

21. विद्यार्थी को जन्मतिथि प्रमाणन के लिए 10 वीं की अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22. **निम्न परिस्थितियों में प्रत्याशी अपराधिक प्रकरणों के प्रचलन आदि के कारण अपात्र होगें:–**

(i) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

(ii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर आरोप निर्धारित कर लिया गया हो।

(iii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

(iv) किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज हुई हो, जिसमें दर्ज धाराओं के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान हो।

(v) परन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में (i से iv) में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों के आधार पर प्रत्याशी को अपात्र नहीं माना जाएगा।

(vi) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी में अपराध प्रदेश में प्रचलित किसी भी अधिनियम में दाण्डिक प्रावधानों के अंतर्गत होने पर अपात्रता निर्मित होगी। उदाहरण स्वरूप – भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी. सी.), आर्म्स एक्ट, एन.डी.पी.एस. एक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधित अधिनियम आदि।

(vii) उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रत्याशी द्वारा स्वयं का अभिवचन पत्र पर्याप्त होगा। किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(viii) किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से देने पर निर्वाचन पूर्व, दौरान एवं पश्चात कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर करना, निर्वाचित अभ्यर्थी को पद से हटाना एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है।

23. संस्था द्वारा अनुशासनहीनता के कारण दण्डित नहीं किया हो अथवा जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्था में विचाराधीन न हो। प्रत्याशी से विभिन्न स्तरों पर अभिवचन पत्र भी भरवाए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

24. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कुल अध्ययनकाल की अवधि में (स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कुल अवधि) कोई भी विद्यार्थी अधिकतम एक बार ही छात्रसंघ पदाधिकारी के लिए निर्वाचित हो सकता है। लेकिन कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए यह बंधन नहीं है।

25. विद्यार्थी को संस्था/महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है।

आचार संहिता :–

26. प्रत्येक निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली से होगा।

27. निर्वाचन शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विद्यार्थीगण अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी परेशानी या बाधा के कर सके ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए।

28. प्रत्येक प्रत्याशी की अधिकतम व्यय सीमा रू. 5000/– से अधिक व्यय नहीं करेगा।

29. सीमा से अधिक व्यय करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया

जाएगा।

30. अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अधीन उल्लेखित 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध की श्रेणी में आते हो।

31. छात्रसंघ निर्वाचन राजनीतिक दलीय आधार पर नहीं होंगे। प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर, वाहनों एवं पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

32. कोई भी प्रत्याशी जाति, धर्म एवं समुदाय आधारित प्रचार प्रसार या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। मत प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के जातीय या साम्प्रदायिक भावना का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

33. जाति, धर्म, वर्ग तथा समुदायिक आधार पर वोट नहीं माँगे जा सकेंगे।

34. किसी भी अभ्यर्थी को ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि की अनुमति के बिना उपयोग करना प्रतिबंधित है। उल्लंघन होने पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

35. मतदान दिवस को मतदान स्थल/परिसर में प्रचार–प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। विशेष रूप से मतदान दिवस को मतदान स्थल/परिसर से 500 मीटर के घेरे में किसी प्रकार का प्रचार – प्रसार सामग्री के प्रदर्शन/वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

36. मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व संध्या 05:00 बजे के उपरान्त प्रचार–प्रसार पूर्णतः रोक दिया जाना चाहिए।

37. मतदाताओं को किसी तरह का परिवहन, ट्रांसपोर्ट अथवा कन्वेन्स उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

38. प्रत्याशी छपे हुए पोस्टर्स का छपी हुई सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। सिर्फ हाथ से बनाए पोस्टर्स का उपयोग करेंगे। इसमें कम्प्यूटर प्रिंट आउट/ आधारित पोस्टर/प्रचार सामग्री भी प्रतिबंधित है।

39. एक अभ्यर्थी द्वारा लगाये गए पोस्टर दूसरे अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिये।

40. प्रत्याशी सम्पूर्ण अवधि में महाविद्यालय परिसर के 500 मीटर की परिधि में जुलूस या जनसभा नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी महाविद्यालय की संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

41. मतदान के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को अद्यतन परिचयपत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा।

42. प्रत्येक संस्था में विद्यार्थियों के नामांकन देखने के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जाना है। इस हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा नियुक्ति कार्यवाही की जाएगी ताकि सभी संस्थाओं से निर्वाचन की रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।

43. निर्वाचन संबंधी कार्यवाही के दौरान ऐसी कोई बात जो संविधान में दिये सिद्धांतों और आदर्शों के प्रतिकूल न हो और इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप होगी, का पालन किया जाएगा।

44. विभिन्न छात्र संगठनों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करें, या विद्यार्थियों के मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले।

45. किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों सामग्री, भोजन आदि का वितरण, विद्यार्थियों को प्रभावित करता है एवं इसके कारण बहुत हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है अतः ऐसे समस्त कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है।

46. उपरोक्त छात्रसंघ गठन प्रक्रिया में विशेष परिस्थितियों में आने वाली दिक्कतों एवं ऐसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय जिनमें छात्रसंघ गठन के लिए अर्हता प्राप्त प्रत्याशी/अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग लिंगदोह समिति एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन/परिवर्तन कर उचित निर्देश जारी करने हेतु सक्षम रहेगा।

47. जिन महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्रध्यापक की उपलब्धता नहीं है अथवा अतिरिक्त आवश्यकता है। वे संबंधित जिले के कलेक्टर से लिखित में आग्रह कर अन्य विभागों से अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं लेने हेतु आदेश प्राप्त करेंगे।

3. प्राचार्य/संरक्षक के लिए निर्देश

1. छात्रसंघ गठन संबंधी अधिसूचना नियमानुसार जारी की जाए।

2. महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख छात्रसंघ के संरक्षक एवं सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी एवं प्रभारी रहेंगे। महाविद्यालयों मे छात्रसंघ गठन के कार्य के लिए संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक (उच्च शिक्षा) के अनुमोदन से प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को ''छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी'' घोषित किया जाएगा। इसी तरह विश्वविद्यालय में छात्रकल्याण अधिष्ठाता छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी होंगे। छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी छात्रसंघ निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं गतिविधियों को संरक्षक के मार्गदर्शन में सम्पादित करेंगे। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संरक्षक छात्रसंघ निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन, पदाधिकारियों/कक्षा प्रतिनिधियों के आरक्षण हेतु लॉटरी तथा शपथ ग्रहण के उत्तरदायित्व को निष्पादत करेंगे।
   (छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया 2017–18 सम्पन्न कराने के लिये संलग्न निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा)

3. उक्त महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग/कक्षा के विभिन्न वर्गों/सेक्शन से विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर कक्षा प्रतिनिधि/सी.आर. का निर्वाचन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा से निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि अथवा गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि (आवश्यकता होने पर) छात्रसंघ के विभिन्न (चार) पदाधिकारियों में से किसी भी एक पद के लिए अपना नामांकन कर सकते है। जिसके उपरान्त निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि एवं गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि ही वोट डालकर छात्रसंघ पदाधिकारियों को चुनेंगे अर्थात कक्षा प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु उस कक्षा के समस्त पात्रता रखने वाले विद्यार्थी मतदान करेंगे एवं महाविद्यालयीन पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचित अथवा मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि ही मतदान करेंगे। इस तरह से प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

4. वे कक्षा प्रतिनिधि जो अंततः प्रक्रियानुसार महाविद्यालयीन पदाधिकारी के रूप में समान्य रूप से निर्वाचित होते हैं तो वे दोनों पदों को धारण करेंगे।

5. ऐसे महाविद्यालय जहाँ कक्षा प्रतिनिधियों की कुल संख्या 4 से कम हो तो निम्न क्रम में पदाधिकारी निर्वाचित किये जाएंगे– अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव एवं शेष पद रिक्त रहेंगे।

6. निर्वाचन के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन, संस्था स्तर पर किया जाएगा जो किसी भी तरह की शिकायत या अभ्यावेदन आने पर उसका जांच प्रतिवेदन प्राचार्य/संरक्षक, कुलपति/संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे एवं उसी दिन संरक्षक के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

7. मतदान के उपरान्त परिणाम घोषित होते ही उसी दिवस महाविद्यालयों में संस्था प्रमुख/प्राचार्य द्वारा निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। विश्वविद्यालयों मे कुलपति द्वारा निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करायी जायेगी।

8. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची महाविद्यालय में कक्षावार/विश्वविद्यालय में विभागवार तैयार करना।

9. पर्याप्त सुरक्षा बल/पुलिस बल की तैनाती हेतु जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक/स्थानीय पुलिस अधिकारी/स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देना। अगर महाविद्यालय में बाउण्ड्री वाल नहीं है अथवा किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित है तो पुलिस को स्पष्ट रूप से लिखित में देना ताकि किसी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके।

10. समस्त विद्यार्थियों को परिचय पत्र का वितरण तथा अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाए।

11. नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) का गठन करना।

12. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (समिति) का गठन करना।

13. प्राचार्य/संरक्षक छात्रसंघ के गठन की प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं अनुशासित ढंग से समय सीमा में सम्पन्न कराएं।

14. (अ) यदि इस सत्र 2017–18 में स्नातक द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ सेमेस्टरों तथा स्नातकोत्तर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टरों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इस सत्र के लिए प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को अधिसूचना जारी होने के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को अस्थायी परिचय पत्र जारी किया जाएगा। कक्षा प्रतिनिधि अथवा अन्य पदो के लिए प्रत्याशियों को नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को एक सादे कागज पर **स्वहस्ताक्षरित शपथ–पत्र** देना होगा कि उन्होंने विश्वविद्यालयीन परीक्षा में भाग लिया है अथवा भाग लेंगे। अगर वे परीक्षा अनुउत्तीर्ण रहते हैं अथवा किसी विषय में उन्हें ए.टी.के.टी मिलती है तो उनका निर्वाचन तत्काल प्रभाव से रद्द घोषित कर दिया जाय।

(ब) जिन स्थानों पर परीक्षाएं नहीं हुई है या चल रही है उन सभी स्थानों पर अध्ययनरत विद्यार्थी, प्रवेश मार्गदर्शिका सत्र 2017–18 के नियम अनुसार आगामी सत्र में प्रावधिक रूप से प्रवेशित माने जाने जाएंगे।

(स) ऐसे विद्यार्थी बिन्दु (ब) अनुसार छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18 में भाग ले सकते हैं। इन सभी विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के भीतर महाविद्यालयों में निर्धारित फीस जमा करानी होगी। फीस जमा नहीं होने/करने पर विद्यार्थी को छात्रसंघ निर्वाचन से वंचित किया जाएगा।

(द) ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी पद के लिए नामांकन भरने हेतु पूर्व से जारी निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट प्रारूप में **शपथ पत्र** देना अनिवार्य होगा।

15. जिन महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्रध्यापक की उपलब्धता नहीं है अथवा अतिरिक्त आवश्यकता है। वे संबंधित जिले के कलेक्टर से लिखित में आग्रह कर अन्य विभागों से अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाएं लेने हेतु आदेश प्राप्त करेंगे।

16. उपरोक्त छात्रसंघ गठन प्रक्रिया में विशेष परिस्थितियों में आने वाली दिक्कतों एवं ऐसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय जिनमें छात्रसंघ गठन के लिए अर्हता प्राप्त प्रत्याशी/अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन कर उचित निर्देश जारी करने हेतु सक्षम रहेगा।

4. प्रत्याशियों के लिए अर्हताऐं

1. स्नातक स्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2012–13 या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो। विद्यार्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अन्तराल (गैप) ले सकता है। महाविद्यालय में प्रवेश के बाद अन्तराल (गैप) नहीं ले सकता है।

2. स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2009–10 या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

3. एम.फिल. एवं शोध की कक्षाओं में अध्ययनरत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2005–06 में या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

4. जिन विद्यार्थियों की कक्षा 12वीं के बाद से एल.एल.बी. अंतिम वर्ष/एल.एल.एम. अंतिम वर्ष में प्रवेश तक बिना किसी ब्रेक के अध्ययन मे निरन्तरता रही हो, विधि पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचन में भाग लेने के लिए अर्हतायें इस तरह रहेंगी :–

   (अ) पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम के संबंध में 10+2 परीक्षा सत्र 2010–11 में या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

   (ब) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के संबंध में 10+2 परीक्षा सत्र 2009–10 में या उसके पश्चात् उत्तीर्ण की हो।

5. निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के दिनांक तक प्रवेशित एवं अर्हताधारी विद्यार्थी ही छात्रसंघ गठन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

6. विद्यार्थी ने सभी पाठ्यक्रम निर्धारित न्यूनतम अवधि में ही उत्तीर्ण किये हो। अकादमिक सत्र 2017–18 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर मे से यदि किसी सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम किन्ही कारणों से घोषित नहीं हुए ऐसी स्थिति में सिर्फ इस सत्र के लिए प्रावधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी भी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरते समय पूर्व से जारी निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट प्रपत्र में अभिवचन–पत्र (संलग्नक-III ब से इ) देना अनिवार्य होगा।

7. विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सभी निर्धारित शुल्क पदाधिकारी नामांकन तिथि तक जमा कर दिये हों।

8. निम्न परिस्थितियों में प्रत्याशी आपराधिक प्रकरणों के प्रचलन आदि के कारण अपात्र होंगे :–

(i) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

(ii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर आरोप निर्धारित कर लिया गया हो।

(iii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

(iv) किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज हुई हो, जिसमें दर्ज धाराओं के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान हो।

(v) परन्तु उपरोक्त परिस्थितियों में (i से iv) में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों के आधार पर प्रत्याशी को अपात्र नहीं माना जाएगा।

(vi) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी में अपराध प्रदेश में प्रचलित किसी भी अधिनियम में दाण्डिक प्रावधानों के अंतर्गत होने पर अपात्रता निर्मित होगी। उदाहरण स्वरूप – भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.), आर्म्स एक्ट, एन.डी.पी.एस. एक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधित अधिनियम आदि।

(vii) उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रत्याशी द्वारा स्वयं का अभिवचन पत्र पर्याप्त होगा। किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(viii) किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने अथवा त्रुटिपूर्ण रूप से देने पर निर्वाचन पूर्व, दौरान एवं पश्चात कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर करना, निर्वाचित अभ्यार्थी को पद से हटाना एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही शामिल है।

9. किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण दंडित नहीं किया गया हो अथवा उसके विरूद्ध अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण कार्यवाही विचाराधीन न हो।

10. विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कहीं नियमित रूप से नियोजित न हो परन्तु अल्कालिक (पार्ट टाइम) कार्य करने की अनुमति होगी।

11. संस्था द्वारा अनुशासनहीनता के कारण दंडित नहीं किया गया हो अथवा जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्था में विचाराधीन न हो।

12. विद्यार्थी ने एक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर अथवा पाठ्यक्रम अपूर्ण छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया हो।

13. किसी भी उपाधि परीक्षा को पूरक/एटीकेटी के द्वारा उत्तीर्ण नहीं किया हो।

14. सभी परीक्षाएं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हों। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के उपरान्त अध्ययन–काल में अंतराल न हुआ हो। यदि अन्तराल (गैप) है तो वह अपात्र होगा।

15. अध्ययन–काल के किसी भी वर्ष में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ छात्रावास से निष्कासित नहीं किया गया हो।

16. विद्यार्थी रैगिंग प्रकरण में लिप्त न रहा हो।

17. ऐसे महाविद्यालय जहां स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए अभ्यर्थी/प्रत्याशी स्नातकोत्तर कक्षा से ही नामांकन हेतु पात्र होगा। अन्य तीनों पदाधिकारी पदों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं होगा।

18. छात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि वह विगत सत्र 2016–17 में उसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र रहा हो। यह बन्धन स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर भी लागू होगा। यह बंधन स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले प्रत्याशियों पर लागू नहीं है।

19. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कुल अध्ययनकाल की अवधि में (स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की कुल अवधि) कोई भी विद्यार्थी अधिकतम एक बार ही छात्रसंघ पदाधिकारी के लिए निर्वाचित हो सकता है। लेकिन कक्षा प्रतिनिधि के पद के लिए यह बंधन नहीं है।

20. कक्षा प्रतिनिधि हेतु छात्राओं के लिए आरक्षण :–

कक्षा प्रतिनिधि के लिए कुल पदों के 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आरक्षित कक्षाओं के चयन के लिए लॉटरी पद्धति से ड्रा निकाला जाएगा। परन्तु छात्राओं हेतु सी.आर. का आरक्षण तभी किया जाएगा जब उन कक्षा विशेष में न्यूनतम 3 छात्राएं (अर्हताधारी) अध्यनरत हो। कन्या महाविद्यालयों में यह आरक्षण लागू नही होगा क्योंकि समस्त पद महिलाओं के लिए ही होंगे। 50 प्रतिशत की गणना महाविद्यालय में निर्वाचन में भाग ले रही कुल कक्षाओं में से की जाए। अगर न्यूनतम आवश्यक 03 छात्राओं से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है तो इन कक्षाओं में से लॉटरी पद्धति से ड्रा निकाला जाए। अगर यह संख्या 50 प्रतिशत से कम है तो ऐसी सभी कक्षाओं में छात्राओं के लिए आरक्षण रहेगा। शेष सभी कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के पद को अनारक्षित मानते हुए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन कराये जाए। महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का पद रिक्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरणः— अगर तीन छात्राओं अथवा तीन से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं की संख्या कुल कक्षाओं की संख्या के 50 प्रतिशत से कम है तो ऐसी स्थिति में 50 प्रतिशत महिला सीट आरक्षण की बाद्यता नहीं रहेगी एवं ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप से 3 से अधिक छात्राओं वाली कक्षाओं कों ही छात्राओं के लिए कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) के लिए आरक्षित माना जाएगा।

उदाहरण के लिए किसी महाविद्यालय में समस्त संकाय/पाठ्यक्रम की कुल 36 कक्षाएं संचालित है। सर्वप्रथम 03 या 03 से अधिक छात्राओं की संख्या वाली कक्षाओं को चिन्हित किया जाए, और यह संख्या 18 (अर्थात 50 प्रतिशत) या 18 से कम है तो इन्ही 18 या 18 से कम कक्षाओं में से ही छात्राओं/महिलाओं के लिए कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) का पद आरक्षित रहेगा। यदि 03 या 03 से अधिक छात्राओं की कक्षाओं की संख्या 18 से अधिक होती है तो ऐसी सभी कक्षाओं को पर्ची/लॉटरी बनाकर उसमे से 50 प्रतिशत अर्थात इस उदाहरण में 18 कक्षाएं छात्राओं हेतु कक्षा प्रतिनिधि (सी.आर.) आरक्षण के लिए चिन्हित की जावे।

21. छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, की कक्षाएँ सम्मिलित नहीं होगी। एम. फिल. एवं शोध की कक्षाओं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी ही निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, जिनकी उम्र छात्रसंघ निर्वाचन अधिसूचना दिनांक को 28 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

22. यदि किसी पद के लिये केवल एक ही पात्र नामांकन प्रपत्र निर्वाचन के लिये प्राप्त होता है तो संबंधित पात्र प्रत्याशी को आवेदित पद पर सक्षम निर्वाचन अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

5. छात्रसंघ गठन

कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रसंघ गठन करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग/कक्षा के विभिन्न वर्गों (Section) से मतदाता सूची मे स्थान प्राप्त विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत (Vote) डालकर कक्षा प्रतिनिधि (C R) का निर्वाचन किया जाएगा।

2. विश्वविद्यालय कैम्पस को छात्रसंघ गठन हेतु महाविद्यालय के समान ही माना जाएगा अर्थात विश्वविद्यालय में महाविद्यालय की छात्रसंघ गठन प्रक्रिया के समान ही, कक्षा प्रतिनिधि एवं छात्रसंघ पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा इस प्रकार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया एक समान ही होगी।

3. किसी भी कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि का पद रिक्त नहीं रहेगा अर्थात् यदि किसी कक्षा के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया गया है तो सरंक्षक के द्वारा उस कक्षा के लिए गुणानुक्रम के आधार पर अर्हताधारी सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि मनोनीत किया जाएगा।

4. कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा/वर्ग का होना चाहिए। इसके साथ ही उसका नाम संबंधित कक्षा/वर्ग की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अंकित होना चाहिए।

5. कक्षा प्रतिनिधि हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन पत्र में प्रत्याशी उसी कक्षा एवं वर्ग (सेक्शन) का विद्यार्थी होना अनिवार्य है जिस कक्षा के कक्षा प्रतिनिधि पद के लिये वह निर्वाचन लड़ रहा है। प्रस्तावक एवं समर्थक भी उसी कक्षा एवं वर्ग (सेक्शन) का विद्यार्थी होना आवश्यक है। प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं समर्थक उसी कक्षा की मतदाता सूची में अपने नाम एवं क्रमांक का उल्लेख कर नामांकन पत्र में यथा स्थान पर, मतदान अधिकारी की उपस्थिति में, हस्ताक्षर करेंगे जिसे प्रत्याशी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

6. किसी भी नामांकन पत्र पर यदि एक ही वर्ग के प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक ने उसी वर्ग के दूसरे प्रत्याशी के लिए भी प्रस्तावक समर्थक या समर्थक प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिया है तो ऐसे सभी नामांकन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

6. छात्रसंघ गठन

पदाधिकारियों का निर्वाचन

1. छात्रसंघ निर्वाचन में निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि किसी भी एक पद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सह सचिव) के लिए स्वयं का नामांकन निर्धारित अर्हताओं के अनुसार दाखिल कर सकता है।
2. छात्रसंघ पदाधिकारी पद के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचित/ मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि मे से ही होंगे। इसमें प्रस्तावक और समर्थक के लिए कक्षा/वर्ग का बंधन नहीं होगा।
3. छात्रसंघ पदाधिकारी पद के लिए नामांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचन के पश्चात् निर्धारित समय सारिणी अनुसार सम्पादित होगी।
4. पदाधिकारियों के मतदान के पश्चात् मतगणना कर निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की जायगी।
5. इसके तत्काल बाद कुलपति/प्राचार्य द्वारा निर्वाचित एवं मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों और निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करायी जायेगी।

7. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर छात्रसंघ गठन की समय सारिणी

क्र.	दिनांक	समय	कार्यक्रम विवरण
1	23.10.2017	11:00 प्रातः 3.00 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संरक्षक द्वारा छात्रसंघ गठन की अधिसूचना का जारी होना। छात्रसंघ गठन के लिए संरक्षक द्वारा पदों के आरक्षण की घोषणा।
2	24.10.2017	11:00 से 05:00 सायं तक	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में क्रमशः विभागवार/कक्षावार मतदाताओं की सूची तैयार करना।
3	25.10.2017	04:00 से 05:00 सायं तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार मतदाताओं की सूची का प्रकाशन।
4	26.10.2017	11:00 से 03:00 अपरान्ह तक	मतदाताओं की प्रकाशित सूची पर दावा/आपत्ति।
5	27.10.2017	05:00 सायं तक	मतदाताओं की संशोधित अंतिम (वैध) सूची का प्रकाशन।
6	28.10.2017	10:00 से 11:00 प्रातः तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि के लिए प्रत्याशियों का नामांकन।
		11:00 से 12:00 मध्यान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		12:00 से 12:30 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		12:30 से 01:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		01:00 से 02:00 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:00 से 02:30 अपरान्ह तक	कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		02:30 से 03:30 अपरान्ह तक 03:30 अपरान्ह से कार्य पूर्ण तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन। जिन कक्षाओं में कक्षा प्रतिनिधि के लिए नामांकन नहीं हुआ है उन कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर संरक्षक द्वारा मनोनयन कर सूची जारी करना। विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतपत्र तैयार करना/मतदान केन्द्रों का निर्माण।
7	29.10.2017	05:00 सायं से प्रचार प्रसार प्रतिबंधित।	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कक्षा प्रतिनिधि प्रत्याशियों के द्वारा छात्रसंघ गठन के लिए प्रचार प्रसार।
8	30.10.2017	08:00 से 10:00 प्रातः तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/ महाविद्यालय में कक्षावार कक्षा प्रतिनिधियों के लिए मतदान।
		10:00 प्रातः से 10:30 तक 11:00 मध्यान से 12.00 बजे तक	कक्षा प्रतिनिधि के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा। गुणानुक्रम के आधार पर मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि तथा विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधियों की एकजाई अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। इन मतदाताओं के द्वारा ही पदाधिकारियों को मतदान किया जाएगा।
		12:00 से 01:00 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों का नामांकन।
		01:00 से 01:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच।
		01:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का प्रथम प्रकाशन।
		01:30 से 02:00 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों की सूची पर दावा/आपत्ति।
		02:30 बजे	पदाधिकारी प्रत्याशियों की नामांकन सूची का द्वितीय प्रकाशन।
		02:30 से 03:00 अपरान्ह तक	पदाधिकारी प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी।
		03:00 बजे से 03:30 अपरान्ह तक	विश्वविद्यालय में विभागवार/महाविद्यालय में पदाधिकारी प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रकाशन।
		03:30 से 04:30 अपरान्ह तक	पदाधिकारियों के लिए मतदान।
		04:30 अपरान्ह से	पदाधिकारियों के लिए मतगणना/परिणाम की घोषणा।
		परिणाम घोषणा के उपरान्त तत्काल	शपथ ग्रहण। नोट : विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों के परिणामों एवं पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी का निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषण।

8. मतदान की तैयारी एवं मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु

1. मतदान कक्ष में किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकित अभिकर्ता/एजेन्ट को उपस्थित रहने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्याशी स्वयं चाहे तो उपस्थित रह सकता है।

2. यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित समय में उपस्थित हो जाता है तो प्रत्याशी को मतदान पूर्व खाली मतपेटी दिखाना है, तत्पश्चात् मतपेटी का ताला लगाकर बन्द करना है। प्रदाय की गई गोंद लगी पेपर सील पर प्रत्याशी, मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित कर मतपेटी को सील करना है। (केवल पेपर सील को ही चिपकाना है)

3. मतदाता, मतदाता–सूची पर अपने नाम के समक्ष हस्ताक्षर करेगा व मतदान अधिकारी उसके नाम को (√) सही के निशान से अंकित भी करेगा।

4. मतदान हेतु मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र देने के पूर्व उसके पृष्ठ भाग पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करेगा।

5. मतदान अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़ कर (फोल्ड करके) देगा। मतपत्र इस प्रकार से मोड़ा जायेगा कि किसी दूसरे के नाम पर पूर्व में मत अंकित करने हेतु की गई व्यवस्था के अन्तर्गत लगाई गई स्याही किसी दूसरे प्रत्याशी पर न लगने पाए।

6. कक्षा प्रतिनिधि, छात्रसंघ पदाधिकारियों के मतदान हेतु परिचय–पत्र (महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया) या प्रवेश प्राप्त करते समय जमा की गई फीस/शुल्क की मूल रसीद लाना अनिवार्य है।

7. मतदान उपरान्त मतदाता के परिचय–पत्र, फीस की रसीद के पीछे मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करना है।

8. मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने पर लंबी घंटी बजेगी। मतदान प्रारंभ होने की सूचना केवल एक घंटी (सिंगल) बजवाई जायेगी। मतदान समाप्ति पर लम्बी घंटी बजवाई जायेगी।

9. मतदान की समाप्ति तक यदि मतदान के लिये मतदान कक्ष के बाहर शेष मतदाता उपस्थित रहते हैं तो उन्हें पंक्तिबद्ध कर मतदान अधिकारी के द्वारा स्वहस्ताक्षरित पर्ची घटती क्रम संख्या से पंक्ति के सबसे अंतिम मतदाता को सबसे पहले बांटते हुए दी जायेगी तथा ऐसे पर्चीधारी शेष बचे हुए मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया जायेगा।

10. दृष्टिहीन मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अपने साथी के साथ, जो उसी संस्था का छात्र हो, कर सकता है। निर्वाचन में भाग ले रहे प्रत्याशी ऐसे मतदाता का साथी नहीं हो सकता है।

11. मतदाता सूची में साधारण त्रुटि (लिपिकीय त्रुटि जैसे मात्रा आदि) को त्रुटि नहीं माना जाऐगा। संज्ञान में आने पर तत्काल ही त्रुटि सुधार कर दी जाये।

12. मतदान समाप्ति के पश्चात् उपस्थित प्रत्याशियों के समक्ष मतदान अधिकारी दल मत–पेटियों को खोलेंगे व मतपत्रों की गणना नियमानुसार करेंगे।

13. मतगणना के पश्चात समस्त कक्षों से प्राप्त सामग्री निर्दिष्ट नियंत्रण कक्ष में जमा होगी।

अ. उपयोग में लाये गये वैध मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर तथा लिफाफे पर हस्ताक्षर करने के पश्चात लौटाया जायेगा। ये सभी लिफाफे संस्था प्रमुख के कक्ष में सुरक्षित रखे जायेंगे।

ब. उपयोग में न लाये गये मतपत्रों को निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर लौटाया जायेगा।

स. कटे–फटे, निरस्त, गलत मुद्रित, मुद्रण त्रुटि वाले मतपत्र निर्धारित लिफाफे में रखकर सेलोटेप से सील कर लौटाये जाएंगे।

द. मतगणना का परिणाम एवं मतगणना प्रपत्र (खुला हुआ) नियंत्रण कक्ष में जमा/लौटाया जायेगा।

य. शेष मतदान सामग्री मतदान पेटी में रखकर नियंत्रण कक्ष में लौटाई जायेगी।

14. निविदत्त मतपत्र :यदि कोई मतदाता मत देने आता है और उसका पूर्व से ही मत डाला जा चुका है तो उसे मतदान करने का अवसर दिया जावेगा, **किन्तु ऐसे मतपत्र पृथक लिफाफे में सील किये जाएंगे** एवं नियंत्रण कक्ष में जमा किये जाएंगे।

15. नामांकन एवं नाम वापसी निर्धारित प्रपत्रों में ही मान्य होगी।

16. नामांकन पत्र मे चाहीं गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरी जाएगी।

17. नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 100 रूपये की राशि तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 50 रूपये की राशि सम्बन्धित संस्था के जनभागीदारी मद खाते में ऑनलाईन कैशलेश जमा कर सकेंगे तथा कैशलेश सुविधा महाविद्यालय में नहीं होने पर विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी/प्रत्याशी ऑफलाईन राशि भी जमा कर सकते है तथा मूल रसीद प्रस्तुत करेंगे।

18. संबंधित अधिकारी के समक्ष एक बार भरा हुआ नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने पर उस नामांकन पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

19 प्रत्येक निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली से होगा।

20. गुप्त मतदान के लिए (✓) सही का चिन्ह प्रत्याशी के नाम के समक्ष अंकित मतांकन के भाग में निर्धारित सीमा–रेखा में लगाना है।

21. निर्वाचन में पदाधिकारी पद के अभ्यर्थी/प्रत्याशी को बराबर मत प्राप्त होने पर निर्णय लॉटरी निकालकर होगा।

22. मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद सभी संवर्गो में मतदान स्थल पर ही मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। अतः प्रत्याशी मतदान की समाप्ति के बाद कक्ष में उपस्थित रहें, ताकि मतगणना उनकी उपस्थिति में हो। प्रत्याशियों के अनुपस्थित रहने पर भी मतदान की समाप्ति के उपरान्त मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी तथा मतगणना के उपरान्त परिणाम घोषित कर दिया जाऐगा। घोषित परिणाम की आधिकारिक प्रति निर्वाचन नियंत्रण कक्ष/छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी/ संरक्षक से प्रत्याशी प्राप्त कर सकते हैं।

23. प्रत्येक संवर्ग में निर्वाचन प्रत्याशी बनने की स्थिति में, प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं समर्थक का व्यक्तिशः मतदान अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

24. सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए मतदान हेतु अपना परिचय–पत्र या प्रवेश की मूल रसीद की मूल प्रति लाना अनविार्य है।

9. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन

निर्वाचन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने एवं व्यवस्थित संचालन के लिये एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। इस सेल में छात्र कल्याण अधिष्ठाता/छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे, इनके अतिरिक्त एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पदस्थ हो और अंतिम वर्ष के दो वरिष्ठ छात्र (जो निर्वाचन के प्रत्याशी न हों) में से एक छात्र एवं एक छात्रा को नामांकित किया जावेगा।

निर्वाचन के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच इस प्रकोष्ठ के द्वारा संस्था स्तर पर उसी दिन की जावेगी। प्रकोष्ठ द्वारा किसी भी तरह की शिकायत आने पर उसका जांच प्रतिवेदन महाविद्यालय में प्राचार्य/संरक्षक एवं विश्वविद्यालय में कुलपति/ संरक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा एवं संरक्षक के द्वारा उसी दिन निर्णय लिया जाएगा।

(अ) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के समक्ष प्रथम अपील की जाने की व्यवस्था :

1. प्रकोष्ठ उसी दिन दोनों ही पक्षों के लिये उपयुक्त निर्णय दे सकेगा, जिसमें आर्थिक दण्ड, निलंबन, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान की गतिविधियों केलिये निलंबन एवं निर्वाचन में भाग लेने पर अयोग्य घोषित कर सकेगा।
2. ऊपर निर्देशित अनुसार किसी प्रत्याशी के विरूद्व कोई भी या कुल आर्थिक दण्ड दिया जावेगा जो कि अधिकतम व्यय सीमा (रूपये 5000/–) से अधिक नहीं होगा।
3. यदि सुनवाई के पश्चात् प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस आचार–संहिता के या निर्णय ओपिनियन आर्डर या मार्गदर्शी नियम का प्रत्याशियों के द्वारा जान बूझकर उल्लंघन किया गया है तो शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी, प्रत्याशी को अयोग्य घोषित करने के लिए संरक्षक को रिपोर्ट देगा।

(ब) संस्था प्रमुख के समक्ष द्वितीय अपील किये जाने की व्यवस्था

1. यदि प्रकोष्ठ के निर्णयों के विरूद्व संस्था प्रमुख/संरक्षक को द्वितीय अपील की जाती है तो प्रकोष्ठ अपना पक्ष संस्था प्रमुख के समक्ष पुनः प्रस्तुत करेगा।

2. संस्था प्रमुख/संरक्षक प्रकोष्ठ की अनुशंसा पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो प्रकोष्ठ संस्था प्रमुख को प्रकरण के संबंध में लिखित अभिमत देगा।

3. संस्था प्रमुख/संरक्षक के द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकेगा जब उसके समक्ष अपील की जायेगी। संस्था–प्रमुख प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत किये गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सकारण स्पीकिंग आदेश जारी कर निर्णय को मान्य या अमान्य या संशोधित कर सकेगा।

4. द्वितीय अपील की प्रक्रिया छात्रसंघ निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से सात दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाये।

संलग्नक

संलग्नक – I

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

अधिसूचना

सत्र 2017–18 में मध्यप्रदेश के समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय कैम्पस (अध्ययन शाला)/ महाविद्यालय में आज दिनांक 23/10/2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे छात्रसंघ गठन के लिए संलग्न समय सारिणी के अनुसार छात्रसंघ निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है।

छात्रों के निर्वाचन सत्र 2017–18 के लिए डॉ./श्री./श्रीमती .... प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी मनोनीत किया जाता है।

छात्रसंघ गठन की सम्पूर्ण प्रक्रिया 08 दिवसीय होगी।

संलग्न – समय सारिणी

हस्ताक्षर ....

दिनांक

प्राचार्य/संरक्षक की सील

संलग्नक .II

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2017–18

आचार संहिता

छात्रसंघ निर्वाचन के इस शैक्षणिक सत्र 2017–18 के निर्वाचन में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थी निम्नलिखित आचरण संहिता का पालन करेंगे। इसका उल्लंघन होने पर प्रत्याशियों का निर्वाचन निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रमुख (संरक्षक) को होगा।

इस सत्र 2017–18 के छात्रसंघ निर्वाचन के लिये आदर्श आचरण संहिता निम्नानुसार है :–

लिंगदोह समिति की अनुशंसा की कंडिका – 6

निर्वाचन संबंधित व्यय तथा वित्तीय जिम्मेदारी इस प्रकार होगी।

(1) प्रति प्रत्याशी अधिकतम स्वीकृत व्यय–सीमा रूपये 5,000/– होगी।

(2) निर्वाचन शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न होना, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विद्यार्थीगण अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी परेशानी या बाधा के कर सके ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए।

(3) प्रत्येक प्रत्याशी परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह में लेखा–जोखा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय इसे प्राप्त होने के दो दिनों में उचित माध्यम से प्रकाशित करेगा ताकि विद्यार्थी इकाई का कोई भी सदस्य इसका स्वतंत्रता पूर्वक परीक्षण कर सकेगा।

(4) सीमा से अधिक व्यय या नियमों के पालन न करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जावेगा।

(5) छात्रसंघ निर्वाचन की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से प्राप्त हो सकने वाले फण्ड को रोकने की दृष्टि से प्रत्याशियों को, विशेष रूप से स्वैच्छिक दान किसी भी संस्था या विद्यार्थी इकाई से प्राप्त करने पर बंदिश रहेगी।

(6) अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अधीन उल्लेखित 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध की श्रेणी में आते हो।

(7) छात्रसंघ निर्वाचन राजनीतिक दलीय आधार पर नहीं होंगे। प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर, वाहनों एवं पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

(8) कोई भी प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा जिससे मतभेद पैदा हो, या आपसी विद्वेष पैदा हों, या वर्गों (धार्मिक और भाषायी) या विद्यार्थियों के समूहों में तनाव उत्पन्न हों।

(9) जब भी अन्य प्रत्याशियों की आलोचना की जाये, तब नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व रिकार्ड तथा कार्यो को ही ध्यान में रखा जाये अन्य प्रत्याशियों तथा समर्थकों पर बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाने से अथवा छबि बिगाड़ने से स्वयं को दूर रखेंगे ।

(10) किसी भी अभ्यर्थी को ध्वज दण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का अनुमति के बिना उपयोग करना प्रतिबंधित है। उल्लंघन होने पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(11) मतदाताओं को किसी तरह का परिवहन, ट्रांसपोर्ट अथवा कन्वेन्स उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिऐ।

(12) जाति तथा सामुदायिक आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकेंगे, केम्पस में स्थल को निर्वाचन के प्रचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा ।

(13) एक अभ्यर्थी/छात्र संगठन द्वारा लगाये गए पोस्टर दूसरे अभ्यर्थी/छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिये।

(14) समस्त प्रत्याशी ऐसे कार्यकलापों का निषेध करेंगे जैसे मतदाता को लालच देना, उन्हें धमकाना इत्यादि।

(15) मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व संध्या 05:00 बजे के उपरान्त प्रचार प्रसार पूर्णतः रोक दिया जाना चाहिए।

(16) किसी भी प्रत्याशी द्वारा छपे हुए पोस्टर्स, बैनर, कार्ड, कम्प्यूटर से निकाले गए प्रिंट को उपयोग नहीं किया जावेगा। सिर्फ हाथ से बनाये गये पोस्टर इत्यादि का प्रयोग किया जा सकेगा जो कि व्यय की सीमा में हो।

(17) परिसर में कुछ ही स्थानों पर हाथ से बनाये पोस्टर प्रत्याशी उपयोग कर सकेंगे जिसकी पूर्व अनुमति, संरक्षक/निर्वाचन समिति, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से ली जावेगी।

(18) मतदान दिवस को मतदान स्थल/परिसर में प्रचार–प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। विशेष रूप से मतदान दिवस को मतदान स्थल/परिसर से 500 मीटर के घेरे में किसी प्रकार का प्रचार या प्रसार सामग्री का प्रदर्शन/वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।

(19) प्रत्याशी सम्पूर्ण अवधि में महाविद्यालय परिसर के 500 मीटर की परिधि में जुलूस या जनसभा नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी महाविद्यालय की संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

(20) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अधिकारियों से लिखित अनुमति के बिना प्रत्याशी या उसका समर्थक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति का कोई उपयोग नहीं करेगा। वह किसी भी प्रकार से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को न तो खराब करेगा और न ही नुकसान पहुंचायेगा। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय भवन एवं परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी समस्त विद्यार्थियों की सम्मिलित रूप से मानी जावेगी तथा वे इसके लिये जिम्मेदार होंगे।

(21) निर्वाचन के लिए निर्धारित की गई प्रचार प्रसार अवधि में प्रत्याशी विद्यार्थी सभा कर सकेंगे वह भी तब जब किसी भी रूप में कक्षाओं तथा अन्य अकादमिक/पाठ्येत्तर गतिविधियाँ, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रभावित न हो।

(22) प्रचार के लिये लाउडस्पीकर, वाहन तथा पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह निर्वाचन स्थल पर किसी भी तरह के संचार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, ईयर फोन, स्मार्ट वाच, इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स आदि) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(23) निर्वाचन प्रक्रिया के दिनों में विद्यार्थी संगठन तथा प्रत्याशी निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे, ताकि शांतिपूर्वक विधिक रूप से मतदान हो सके, एवं मतदाताओं को उनके प्रतिनिधि चुनने में बिना किसी दिक्कत या व्यवधान के निर्वाचन हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो।

(24) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के संरक्षक से प्राप्त परिचय पत्र/स्वीकृत परिचय पत्र के बिना कोई भी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा।

(25) समस्त प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र को निर्वाचन के 48 घंटे बाद स्वच्छ रखने के लिये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे।

(26) उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा या उनके निर्वाचित पद से हटा दिया जावेगा। (जैसी भी स्थिति हो।) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी ऐसे प्रत्याशियों के विरूद्व उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही कर सकेंगे।

(27) विभिन्न छात्र संगठनों को ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करें, या विद्यार्थियों के मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले।

(28) यद्यपि, विधि निश्चित रूप से स्पष्ट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्रकार के मुफ्त उपहारों का वितरण, निःसंदेह विद्यार्थियों को प्रभावित करता है एवं इसके कारण बहुत हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसे समस्त कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है।

(29) निर्वाचन संबंधी कार्यवाही के दौरान ऐसी कोई बात जो संविधान में दिये सिद्धांतों और आदर्शों के प्रतिकूल न हो और इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप होगी।

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

नामांकन प्रपत्र

संवर्ग – कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम –...

पद का नाम जिसके लिए नामांकन पत्र भर रहे है – ....

(कक्षा प्रतिनिधि/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/सह सचिव)

विद्यार्थी का नाम – ....

कक्षा एवं वर्ग – ....

कक्षा एवं वर्ग की मतदाता सूची का क्रमांक ....

प्रत्याशी का हस्ताक्षर ....

प्रस्तावक संबंधी जानकारी :

(1) प्रस्तावक का नाम .... कक्षा एवं वर्ग ....

मतदाता सूची का क्रमांक .... हस्ताक्षर ....

समर्थक संबंधी जानकारी :

(2) समर्थक का नाम .... कक्षा एवं वर्ग ....

मतदाता सूची का क्रमांक .... हस्ताक्षर ....

नोट :– नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी अन्य आवश्यक अभिलेखो के साथ अपना अभिवचन पत्र तथा घोषणा पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें।

संलग्नक . III (ब)

कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी

प्रत्याशी का अभिवचन –पत्र

मैं श्री / कुमारी / सुश्री...पिता / पति का नाम.................................. कक्षा एवं वर्ग.. छात्रसंघ निर्वाचन में पदाधिकारी / कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए प्रत्याशी हूँ तथा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित अभिवचन देता / देती हूँ कि –

1. मैने छात्रसंघ गठन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी आचरण संहिता अर्हताएं तथा छात्रसंघ मार्गदर्शिका 2017 में वर्णित सभी प्रावधानों का अध्ययन कर लिया है।

2. मैने 10 + 2 की परीक्षा, अकादमिक सत्र 2012–13 के पूर्व उत्तीर्ण नहीं की है और न ही मैंने पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अवधि से अधिक अवधि में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। अथवा

   मैं स्नातकोत्तर स्तर का छात्र हूँ मैने 12वीं कक्षा (10+2) वर्ष 2009–10 के पूर्व उतीर्ण नही की है और न ही मैंने पाठ्यक्रम के लिये निधारित अवधि से अधिक अवधि में पाठ्यक्रम उतीर्ण किया है। अथवा

   मैं एम.फिल / शोध / एल.एल.बी. / एल.एल.एम. का छात्र हूँ एवं वर्णित प्रावधानों के तहत मुझे पात्रता है। (जो लागू ना हो उसे काट दें)

3. मैंने विगत सभी परीक्षाएं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की है और मुझे अभी तक पूरक अथवा ए.टी.के.टी. द्वारा अपात्रता नहीं है।

4. एक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण घोषित होने पर / या अपूर्ण पाठ्यक्रम छोड़कर मैंने किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया है।

5. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए मुझे कभी भी नहीं पकड़ा गया है, न ही इसके लिये दण्डित किया गया है और न ही ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

6. मार्गदर्शिका 2017–18 के नियमों के तहत मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नहीं किया गया है तथा न ही न्यायालय में आरोप तय कर कोई न्यायालयीन कार्यवाही मेरे विरूद्ध विचाराधीन है। भारतीय दण्ड–संहिता का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है।

   अथवा

   मै घोषणा करता हूँ कि निम्न परिस्थितियों में अपराधिक प्रकरणों के प्रचलन आदि की जानकारी निरंक है

   (i) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो – निरंक

   (ii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर आरोप निर्धारित कर लिया गया हो।–निरंक

   (iii) किसी भी सक्षम न्यायालय में अपराधों पर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। – निरंक

(iv) किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज हुई हो, जिसमें दर्ज धाराओं के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान हो। – निरंक

(v) भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.), आर्म्स एक्ट, एन.डी.पी.एस. एक्ट, अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधित अधिनियम आदि के तहत् प्रचलित प्रकरण – निरंक

अथवा

(vi) मै घोषणा करता हूॅ कि उपरोक्त किसी एक या अधिक परिस्थितियों में (i से iv) में मेरे उपर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हुई है लेकिन मुझे प्रत्याशी हेतु पात्रता है।

7. मेरे विरूद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कभी भी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है, न ही लंबित है।

8. मैं कभी भी रैगिंग प्रकरणों में लिप्त नहीं रहा/रही हूँ।

9. मैं किसी भी प्रकार के नियमित रोजगार (जॉब) में नहीं हूँ।

10. मैने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में देय समस्त आवश्यक शुल्कों का भुगतान कर दिया है। मेरे विरूद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का कोई भी अग्रिम बकाया नहीं है।

11. मुझे कभी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/छात्रावास से निष्कासित नहीं किया गया है।

12. मैं विगत शैक्षणिक वर्ष 2016–17 में इसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी रहा/रही हूॅ। (स्नातकोत्तर कक्षा के पदाधिकारी पद के प्रत्याशियों के लिए यह शर्त लागू नहीं है।)

13. मैनें वर्ष 2012 जून में या उसके पश्चात् 12वीं की कक्षा (10+2) उत्तीर्ण करने पश्चात् स्नातक स्पर पर प्रवेश लिया है तथा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद किसी प्रकार अन्तराल (गैप) नहीं हुआ है।

14. नामांकन पत्र के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज पूर्णरूपेण सत्य हैं तथा अभिप्रमाणित हैं।

15. मेरे द्वारा आचरण–संहिता का उल्लंघन किये जाने पर या मेरे द्वारा दिये गये अभिवचनों में कोई भी अभिवचन असत्य पाये जाने/सिद्ध होने पर/अर्हताओं के तहत पात्रता ना होने पर मेरे नामांकन प्रपत्र को निरस्त किया जाए।

16. उक्त अभिवचन पत्र मेरे द्वारा, छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2017–2018 में .... पद हेतु निर्वाचन के संदर्भ में दिया जा रहा है।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर ....

पता ....

....

मोबाईल क्रमांक ....

परीक्षण समिति की टीप :

1. अभिवचन पत्र सही पाया गया ....

2. अभिवचन पत्र सहीं नहीं पाया गया क्योंकि ....

....

परीक्षण समिति संयोजक के हस्ताक्षर

....

नाम ....

मोबाईल क्रमांक ....

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

प्रत्याशी का घोषणा–पत्र

कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम– ....

मैं ....आत्मज श्री/श्रीमती .... कक्षा ....वर्ग .... यह घोषणा करता हूँ कि स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन अवधि में वर्णित वर्षों में कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी का प्रत्याशी (हारा या जीता) नहीं रहा/रही हूँ।

दिनांक : ....

समय :..

स्थान :..

घोषणाकर्ता प्रत्याशी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

मोबाईल क्रमांक ....

.

(नोट : नामांकन पत्र के साथ संलग्न करें।)

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

''प्राविधिक प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी के नामांकन हेतु शपथ पत्र''

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम ....
मैं .... आत्मज/आत्मजा ....
विभाग/कक्षा ....

शपथ पूर्वक यह वचन देता/देती हूँ कि मैं वर्तमान में सत्र 2017–18 में अध्ययनरत कक्षा में प्रावधिक रूप से प्रवेश प्राप्त हूँ। यदि मैं छात्रसंघ 2017–18 में कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी पद के लिये निर्वाचित होता हूँ/होती हूँ और विश्वविद्यालयीन परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त यदि मझे पूरक/ए.टी.के.टी आती है। तो ऐसी स्थति में मेरा निर्वाचन तत्काल प्रभाव से रद्द घोषित किया जाएगा।

मैं इस संबंध में किसी भी प्रकार से दावा या अपील नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान : ....

दिनांक : ....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

कक्षा ....

वर्ग ....

मोबाईल नम्बर ....

(नोट : नामांकन पत्र के साथ संलग्न करें।)

<u>संलग्नक . III (इ)</u>

<u>पावती</u>

कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी ....

संलग्नकों की संख्या ....

नामांकन पत्र के साथ आवश्कतानुसार निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है :–

1 10 वीं कक्षा की अंकसूची की सत्यापित एवं मूल प्रति (जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु)

2 12 वीं कक्षा तथा विगत सभी विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं की अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां तथा मूल प्रतियां।

3. स्नातक प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां तथा मूल प्रतियां।

4. स्नातक तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां तथा मूल प्रतियां।

5. स्नातक पंचम/पष्ठ सेमेस्टर की अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां तथा मूल प्रतियां।

6. स्नातकोत्तर प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां तथा मूल प्रतियां।

7. एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर की अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां तथा मूल प्रतियां।

8. एल.एल.एम. प्रथम/द्वितीय/तृतीय की अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां तथा मूल प्रतियां।

9. सत्र 2017–2018 में प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति एवं मूल प्रति।

10. प्रत्याशी का अभिवचन पत्र।

11. प्रत्याशी का घोषणा पत्र।

12.

13.

14.

15.

(नोट – छात्रसंघ निर्वाचन के उपरांत मूल अंकसूचियॉ, प्रमाणपत्र तथा रसीद को वापिस कर दिया जावेगा)।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर **प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर........................**

नाम .... **नाम ....**

कक्षा ....

मोबाईल क्रमांक .... **मोबाईल क्रमांक ....**

टीप :– यह पावती दो प्रतियों में भरवाई जाए एक प्रति पावती के रूप में विद्यार्थी को सौंपी जाए ।

संलग्नक . IV

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

नाम वापसी का प्रपत्र

कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम– ....

कक्षा प्रतिनिधि/पदाधिकारी ....

मैंने ....आत्मज श्री/श्रीमती ....

कक्षा ....वर्ग .... से ....

पद के लिए नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किया था, जिसे मैं अपनी स्वेच्छा से वापिस लेता/लेती हूँ।

दिनांक : ....   हस्ताक्षर प्रत्याशी ....

समय :..   नाम प्रत्याशी ....

मोबाईल क्रमांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्याशी ने नाम वापसी के प्रपत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये।

छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी हस्ताक्षर ....

छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी नाम...... ....

दिनांक ....

समय ....

मोबाईल क्रमांक ....

संलग्नक . V

छात्रसंघ गठन – 2017–18

मतगणना के नियम

1. निर्वाचन गुप्त मतदान की प्रणाली के आधार पर होंगे। अधिकतम् मत प्राप्त करने वाला विजयी घोषित होगा। दो या अधिक प्रत्याशियों को समान मत यदि प्राप्त होते हैं तो विजयी प्रत्याशी का निर्णय पर्ची डालकर यानि ड्रा निकालकर होगा।

2. कक्षा प्रतिनिधियों के निर्वाचन में एक–एक मतपत्र उठाकर जिस प्रत्याशी को वैध मत दिया गया है उसके नाम की घोषणा मुख्य मतगणना अधिकारी के द्वारा की जाती रहेगी जिसके आधार पर अन्य गतगणना अधिकारी अपने गणना पत्रक पर मत अंकित करने हेतु क्रमबद्ध तरीके से काटेंगे, प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त मतपत्र अलग–अलग गड्डियों में रखे जायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी पुनगर्णना आसानी से की जा सके।

3. मतगणना के लिये मतगणना पत्रक प्रदान किया जावेगा इसको पूरा भरने के उपरान्त इसी पत्रक में अंकित मतपत्र लेखे में मतपत्रों का हिसाब भी प्रस्तुत करना है।

4. मतपत्र में प्रत्याशियों के नाम सीमा–रेखा खींचकर पृथक–पृथक अंकित किये गये हैं। जिस प्रत्याशी की सीमा–रेखा के अन्दर चिह्न (✓) लगा होगा उसी प्रत्याशी को वह मत वैध रूप से दिया गया माना जायेगा।

5. यदि चिन्ह (✓) इस प्रकार से लगा है कि वह दो प्रत्याशियों की सीमा रेखा को छू रही हो तो जिस प्रत्याशी की सीमा में चिन्ह (✓) का अधिकतम भाग होगा उसी प्रत्याशी को मत दिया गया माना जाएगा। यदि चिह्न इस प्रकार लगा हो कि दोनों प्रत्याशियों की सीमा–रेखा में आधा–आधा भाग हो तो वह मत निरस्त माना जाऐगा।

6. यदि चिह्न (✓) सभी प्रत्याशियों की सीमा–रेखा से बाहर लगा हुआ होगा तो वह मत किसी भी प्रत्याशी को नहीं दिया गया माना जाकर निरस्त कर दिया जाएगा।

7. **मतपत्र निरस्त माना जायेगा यदि :–**

अ. मतपत्र पर कोई पहिचान चिन्ह अथवा लेखन अंकित हो जिससे मत पहचाना जा सके।

ब. मत देने के लिये निर्धारित चिन्ह (✓) के अलावा अन्य तरीके से मत अंकित किया गया है।

स. किस प्रत्याशी को मत दिया गया है, यह सुनिश्चित न किया जाकर मत संदेहास्पद हो ।

द. एक से अधिक प्रत्याशियों की सीमा–रेखा में चिन्ह (✓) अंकित किया गया हो।

ई. मतपत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो ।

संलग्नक. VI

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय ....

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

मतपत्र

क्रमांक ....

कक्षा प्रतिनिधि

कक्षा :................................. वर्ग : ....

क्रं.	प्रत्याशी का नाम	मतांकन का चिन्ह
1		
2		
3		
4		
5		

नोट :– मतांकन हेतु जिस प्रत्याशी को मत देना हो उसके सामने सही (✓) का निशान लगाऐं।

संलग्नक . VII

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–2018
मतगणना प्रपत्र एवं निर्वाचन परिणाम
कक्षा प्रतिनिधि

कक्षा का नाम .... वर्ग...

प्रत्याशी का नाम प्राप्त मतपत्र

....

....

....

....

कटे फटे/निरस्त किये गए मतपत्रों की संख्या ....

विजेता प्रत्याशी के हस्ताक्षर ....

विजेता प्रत्याशी का नाम ....

मोबाईल नम्बर ....

मतगणना अधिकारी के हस्ताक्षर .....

मतगणना अधिकारी का नाम.............

दिनांक..

मोबाईल नम्बर......................................

अन्य पराजित प्रत्याशी के हस्ताक्षर ....

अन्य पराजित प्रत्याशी का नाम ....

मोबाईल नम्बर ....

<u>**संलग्नक . VIII**</u>

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय ....

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

मतपत्र लेखा

कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी

निर्वाचन कक्ष क्रमांक ....

कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी ....

क्रमांक	कक्षा का नाम	प्राप्त मतपत्र	डाले गये मतपत्र	अवैध / निरस्त / कटे–फटे मतपत्र	शेष बचे मतपत्र

कक्ष प्रभारी के हस्ताक्षर ....

कक्ष प्रभारी का नाम ....

दिनांक ....

मोबाईल नम्बर ....

<u>संलग्नक . IX</u>

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम ....

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18
निर्वाचन पश्चात् परिणाम की घोषणा
कक्षा प्रतिनिधि

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय में छात्रसंघ के निम्नलिखित कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

क्रं.	कक्षा / सेक्शन	निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि का नाम एवं विषय	पिता का नाम	मोबाईल नम्बर
1				
2				
3				
4				

छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर ....

छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी का नाम ....

सील ....

दिनांक ....

समय ....

मोबाईल नम्बर ....

संलग्नक . X

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी

महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम– ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु. ....
पुत्र / पुत्री ....
कक्षा .... वर्ग ....
विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम ....के
छात्रसंघ वर्ष 2017–18 के पद ....
पर निर्वाचित किये गये ।

छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी हस्ताक्षर ....
छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी नाम....... ....
दिनांक ....
समय ....
मोबाईल क्रमांक ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जाए। एक प्रति विजेता प्रत्याशी को प्रदान कर दूसरी प्रति महाविद्यालय के रिकॉर्ड में रखी जाए।

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय..

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

मतपत्र

क्रमांक ....

छात्रसंघ पदाधिकारी

पद : अध्यक्ष

क्रं	प्रत्याशी का नाम	मतांकन का चिन्ह

पद : उपाध्यक्ष

क्रं.	प्रत्याशी का नाम	मतांकन का चिन्ह

पद : सचिव

क्रं.	प्रत्याशी का नाम	मतांकन का चिन्ह

पद : सहसचिव

क्रं.	प्रत्याशी का नाम	मतांकन का चिन्ह

<u>संलग्नक . **XII**</u>

छात्रसंघ गठन 2017–2018
पदाधिकारी
मतगणना प्रपत्र एवं निर्वाचन परिणाम

दिनांक ....

अध्यक्ष		उपाध्यक्ष	
प्रत्याशी / प्रत्याशियों का नाम	प्राप्त मतपत्र	प्रत्याशी / प्रत्याशियों का नाम	प्राप्त मतपत्र
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

विजेता प्रत्याशी / प्रत्याशियों का नाम ....

विजेता प्रत्याशी / प्रत्याशियों का नाम ....

सचिव		सह सचिव	
प्रत्याशी / प्रत्याशियों का नाम	प्राप्त मतपत्र	प्रत्याशी / प्रत्याशियों का नाम	प्राप्त मतपत्र
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

विजेता प्रत्याशी / प्रत्याशियों का नाम ....

विजेता प्रत्याशी / प्रत्याशियों का नाम ....

मतगणना अधिकारी के हस्ताक्षर ....

मतगणना अधिकारी का नाम.........................

दिनांक ....

मोबाईल नम्बर ....

<u>संलग्नक . **XIII**</u>

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम ....

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

निर्वाचन पश्चात् परिणाम की घोषणा

पदाधिकारी

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय में छात्रसंघ के निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

अध्यक्ष : ....

उपाध्यक्ष : ....

सचिव : ....

सहसचिव : ....

छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर ....

छात्रसंघ निर्वाचन अधिकारी नाम ....

सील ....

दिनांक ....

मोबाईल नम्बर ....

संलग्नक . XIV

छात्रसंघ निर्वाचन 2017–18

निर्वाचकों का शपथ–पत्र

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम– ....

मैं .... आत्मज / आत्मजा .... शासकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालय .... के छात्रसंघ 2017–18 के पद .... की आज दिनांक ....को सत्य एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ / लेती हूँ कि मैं जाति, धर्म, रंग, वर्ग आदि के भेदभाव से हटकर कार्य करूंगा / करूंगी।

मैं मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी छात्रसंघ निर्वाचन मार्गदर्शिका सत्र 2017–18 एवं मान. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा / करूंगी।

मैं महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखूंगा / रखूंगी तथा महाविद्यालय की गरिमा को अक्षुण्य रखूंगा / रखूंगी।

स्थान ....

दिनांक : .... / ..../2017

निर्वाचक के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

कक्षा एवं वर्ग ....

मोबाईल नम्बर ....

नोट : निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि / पदाधिकारी की शपथ ग्रहण के उपरान्त शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर महाविद्यालयीन रिकॉर्ड में एक प्रति संधारित की जाए।

संलग्नक . XV

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2017–18

व्यय राशि का लेखा

निर्धारित प्रारूप

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम : ....

उम्मीदवार का नाम : ....

कक्षा : .... पद : ....

क्रं.	बिल क्रं. एवं दिनांक	वस्तु / मद का नाम	वस्तु / मद की संख्या	व्यय की गई राशि	रिमार्क
1					
2					
3					
कुल व्यय की गई राशि					

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2017–18 में निर्धारित सीमा में व्यय की गई राशि एवं सत्यापित लेखा में दी गई जानकारी में किसी प्रकार की आपत्ति आने पर मेरा स्वयं का उत्तरदायित्व होगा। इस संबंध में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

दिनांक ....

मोबाईल क्रमांक ....

संलग्नक . XVI

छात्रसंघ निर्वाचन : 2017–18
निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि की जानकारी प्रपत्र

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम..
कुलपति/प्राचार्य का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

अग्रणी महाविद्यालय का नाम : ....
प्राचार्य का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक : ....
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम ....मोबाईल नम्बर ....

क्रं.	निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि का विवरण					रिमार्क निर्वाचित/मनोनीत
	कक्षा	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	निवास का पता	मोबाइल नम्बर	
1						
2						
3						
4						

कुलसचिव/प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोटः प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को उपरोक्तानुसार जानकारी का प्रेषण निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् किया जाए एवं पोर्टल पर जानकारी एम.आई.एस. में सायः 6.30 बजे तक अनिवार्य रुप से दर्ज किया जाये।

संलग्नक . XVII

छात्रसंघ निर्वाचन : 2017–18
निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि की जानकारी प्रपत्र

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम...
कुलपति/प्राचार्य का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

अग्रणी महाविद्यालय का नाम : ....
प्राचार्य का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक : ....
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम ....मोबाईल नम्बर ....

क्रं.		निर्वाचित/मनोनीत कक्षा प्रतिनिधि का विवरण					रिमार्क
	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम/ संरक्षक का नाम तथा मो.नं.	कक्षा/वर्ग	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	निवास का पता	मोबाइल नम्बर	निर्वाचित /मनोनीत
1							
2							
3							
4							

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के हस्ताक्षर

नोटः– संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों की जानकारी समाप्ति के पश्चात् पोर्टल पर जानकारी एम.आई.एस. में दर्ज कराएं तथा संलग्नक **XVII** एकजाई कर वि.क.अ. सह–आयुक्त उच्च शिक्षासतपुड़ा भवन भोपाल की अकादमिक शाखा के ई–मेल **academy-he@mp.gov.in** पर दिनांक. 30/10/2017 सायः 7:00 बजे तक प्रेषित करेंगे।

संलग्नक . **XVIII**

छात्रसंघ निर्वाचन : 2017–18
निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों की जानकारी प्रपत्र

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम...
कुलपति / प्राचार्य का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

अग्रणी महाविद्यालय का नाम : ....
प्राचार्य का नाम .... मोबाईल नम्बर ....

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक : ....
क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम ....मोबाईल नम्बर ....

क्रं.	निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों का विवरण					रिमार्क
	पदाधिकारी	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	निवास का पता	मोबाइल नम्बर	
1	अध्यक्ष					
2	उपाध्यक्ष					
3	सचिव					
4	सह–सचिव					

कुलसचिव / प्राचार्य के हस्ताक्षर

नोट : प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को उपरोक्तानुसार जानकारी का प्रेषण निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् किया जाए एवं पोर्टल पर जानकारी एम.आई.एस. में साय: 6.30 बजे तक अनिवार्य रुप से दर्ज किया जाये।

संलग्नक . **XIX**

छात्रसंघ निर्वाचन : 2017–18
निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों की जानकारी

विश्वविद्यालय/अग्रणी महाविद्यालय का नाम : ....

कुल सचिव/प्राचार्य का नाम ....मोबाईल नम्बर ....

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक : ....

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का नाम ....मोबाईल नम्बर ....

क्रं	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम/संरक्षक का नाम तथा मो.नं.	पदाधिकारी	निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों का विवरण					रिमार्क
			विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	निवास का पता	मोबाइल नम्बर	
		अध्यक्ष						
		उपाध्यक्ष						
		सचिव						
		सह–सचिव						

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के हस्ताक्षर

नोटः– संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों की जानकारी समाप्ति के पश्चात् पोर्टल पर जानकारी एम.आई. एस. में दर्ज कराएं तथा संलग्नक **XIX** एकजाई कर वि.क.अ. सह–आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल की अकादमिक शाखा के ई–मेल **academy-he@mp.gov.in** पर दिनांक. 30/10/2017 सायः 7:00 बजे तक प्रेषित करेंगे।